

दिल्ली वित्तीय निगम



(एक सरकारी उपक्रम)

ई-मेल : dgmdfc.delhi@nic.in website : www.dfcdelhi.nic.in

नरेला, बवाना, बादली, झिलमिल, पटपड़गंज आदि में दिल्ली वित्तीय निगम के ऋणधारियों के लिए

खुशखबरी

1 मार्च, 2004 तक बकाया ब्याज केवल 15: वार्षिक दर से भुगतान करें और अनेक रियायतों का लाभ उठाएँ

निगम का उन सभी मामलों में कानूनी कार्रवाई को रद्द करने का प्रस्ताव है जिनमें अमल न होने/अतिनिवृत्त भवन निम्नण के कारण ऋण वापस ले लिए गए थे। दिल्ली वित्तीय निगम उसे फीर से सुरू करने के साथ – साथ एक पैकेज की घोषणा करता है, जिसमें शामिल है:

- ' विलम्ब काल में तीन वष का विस्तार
- ' पुनर्भुगतान अवधि में दस वर्ष तक का विस्तार
- ' 4: अतिरिक्त ब्याज समाप्त
- ' 32 (जी)एवं आर सी मामलों के लिए भी पैकेज लागू

पैकेज का लाभ वही ऋणधारी उठा सकते हैं, जो 15: वार्षिक की दर से 31.01.2004 तक की कुल ब्याज राशि का भुगतान दिनोंक 01.03.2004 तक कर देंगे। देय बकाया ब्याज का ब्यौरा दिल्ली वित्तीय निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

इस योजना का विवरण प्रत्येक ऋणधारी को पत्रा द्वारा भेजा जाएगा। इच्छुक ऋणधारी निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें :-

श्री ए.पी.जैन, प्रबन्धक (लेखा – वसूली)

मोबाइल : 9868110375